Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 1, January-2019, ISSN 2230-7540

भारतीय राजनीति पर साईमन कमीशन का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Manjeet Singh*

M.Phil. in History (UGC NET)

शोध आलेख:- *1972 ई. में राष्ट्रीय आन्दोलन में ठहराव आ चुका था। देश में साम्प्रदायित दंगे जोरों पर प्रचलित थे और गांधी जी भी अधिक सक्रिय नहीं थे। भातीय राष्ट्रवादियों ने प्रारंभ तो 1919 के सवैधानिक अधिनियम को अपर्याप्त बताया परन्तु सरकार इस बात पर अड़ी रही कि इस अधिनियम पर दस वर्ष के पश्चात् गौर किया जायेगा। अतः सरकार ने इसी वर्ष साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी जिससे भारत का राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया। "1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार शासन व्यवस्था के संचालन की जांच करने के लिए भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास के लिए और भारत में प्रचलित उत्तरदायी सरकार के विस्तार के लिए तथा उसमें संशोधन करने अथवा उन पर प्रतिबन्धलगाने के लिए 10 वर्ष पश्चात् एक कमीशन की नियुक्ति करेगी।" परन्तु साईमन कमीशन की नियुक्ति दो वर्ष पहले ही कर दी गई।*

मुख्य शब्द:- *विदेश नीति, राजनय, गुटनिरपेक्षता, कश्मीर समस्या, डोकलाम विवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ, परमाणु परीक्षण।*

----------X----------

शोध प्रविधि:-

इस शोध पत्र को तैयार करने के लिए आंकड़े/तथ्य द्वितीयक स्त्रोतों से जुटाए गए हैं। इस शोध पत्र में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तर्क प्रस्तुत किए हैं जो शोधकर्ता ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा ज्ञान से प्राप्त किए है। ऐतिहासिक, वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग है। शोध सामग्री प्रसिद्ध पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों से प्राप्त की गई है।

साइमन कमीशन दो वर्ष पूर्व क्यों नियुक्त किया गया अर्थात् इसे 1927 में ही भारत क्यों भेजा गया? इसके विभिन्न कारण थे जो इस प्रकार हैं।-

1. 1927 में इंगलैण्ड में अनुदार दल की सरकार थी जब कि 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे। अतः इस दल को आशंका थी कि यदि मजदूर इल विजयी हो गया तो भारतीय को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देगा जिससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितों को हानि होगी। अतः वह इस समस्या का श्रेय उदार दल को देने की बजाय स्वयं इसका समाधान कर अंग्रेजों अर्थात् अपने देशवासियों की सहानुभूति बटोरना चाहता था।

2. कुछ विद्वनों का मत है कि इंगलैण्ड की सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति इसलिए की कि वह स्वराज्य दल के प्रभाव को समाप्त करना चाहती थी।

3. स्वराज्य दल के प्रयासों से 1924 में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 1919 के ऐक्ट द्वारा निर्मित संविधान के पुनर्निरक्षण के लिए और भारतीयों लाभ के लिए एक गोल मेज कान्फ्रेंस का आयोजन किया जाये। यही कारण था कि सरकार को साइमन कमीशन नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

4. 1922 से 1927 के बीच भारत में कई बार सम्प्रदायिक दंगे हुए जिससे भारतीय राजनीति का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाकर साईमन कमीशन की नियुक्ति कर दी ताकि भारतीयों को किसी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं किये जायें। खिलाफत एवं सहयोग आन्दोलन की असफलता से हिन्दुओं एवं

www.ignited.in

मुसलमानों की एकता समाप्त हो गई। अब मुसलमानों ने साम्प्रदायिकता की राजनीति अपनानी शुरू कर दी। मुहम्मद अलजी जिन्ना ने मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया। उसने साम्प्रदायिकता की राजनीति करनी प्रारम्भ कर दी। जिसके फलस्वरूप छोटी-छोटी बातों पर हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सम्प्रदायिक झगड़े होने लगें। ब्रिटिश सरकार ने भी इस स्थिति का खूब लाभ उठाया उसने फूट डालो और राज्य करों की नीति अपनानी प्रारंभ कर दी जिससे साम्प्रदायिक दंगों में वृद्धि हो गई। पंजाब, बिहार, बंगाल, बम्बई, हैदराबाद, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में ये दंगे उग्र रूप धारण कर गये। पं. मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानन्द ने भी 'शुद्धि आन्दोलन' चला दिया। परिणामस्वरूप एक मुसलमान ने स्वामी जी की हत्या कर दी। इन दंगों पर रोक लगाने के लिए 21 दिन का अनशन किया और कलकत्ता के एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया। इसके बावजूद साम्प्रदायिक दंगे समाप्त नहीं हुए। अतः ब्रिटिश सरकार ने एक स्थिति का लाभ उठाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी।

5. 1927 में नवयुवक राष्ट्रीय आन्दोलन में पूरे जोश से भाग ले रहे थे। अतः सरकार इसे शुरू होने ही दबा देना चाहती थी।

साइमन कमीशन की रचनाः-

1927 ई. में इंग्लैण्ड की सरकार ने साइमन कमीशन की स्थापना कर दी जिसमें सात सदस्य थे। सर जॉन साइमन को इस कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। सबसे मजे की बात तो यह थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं बनाया गया। इस प्रकार य पूरी तरह से गोरे लागों का कमीशन था। इसमें भारतीयों को सदस्यता प्रदान न करने के लिए सरकार ने अनेक तर्क प्रस्तुत किये। सरकार का कमीशन था। इसमें भारतीयों को सदस्यता प्रदान न करने के लिए सरकार ने अनेक तर्क प्रस्तुत किये। सरकार का मानना का था कि चूंकि कमीशन की रिपोर्ट सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की जाती है इसलिए इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए भी इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। तीसरा तर्क यह दिया गया कि भारत में अनेक समूह एवं दल हैं कि यदि सभी दलों में से किसी एक दल के सदस्य इसमें सम्मिलित कर लिये जाएं तो वे एक दूसरे का विरोध करेंगे और यदि सभी दलों के सदस्य इसमें शामिल किये जाएं तो यह कमीशन बहुत बड़ा हो जायेगा परन्तु भारतीयों ने इन सभी तर्कों को नकार दिया उन्होंने कहा कि सरकार इसलिए भारतीयों को कमीशन का सदस्य नहीं बनाया चाहती क्योंकि वह भारतीयों को उनके हितों से वंचित रखना चाहती है। इसके अलावा सरकार भारत की सवैधानिक प्रगति पर रोक लगाकर इसे पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखना चाहती है।

साइमन कमीशन का बहिष्कार

जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने 1927 ई. में साइमन कमीशन नियुक्त किया, भारतीय राजनीति में भू-चाल आ गया। आयोग में भारतीयों को शामिल न करना सबसे बड़ा अन्याय था। यहां तक कि अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों के भाग्य का निर्णय करना और भारतीयों को कमीशन की सदस्यता के योग्य न समझना देशवासियों के चरित्र एवं योग्यता पर भारी कटाक्ष था। श्रीमति ऐनी बेसेन्ट ने कहा था कि- "यह आयोग नहीं है, बल्कि भारतीयों के घावों पर नकम छिड़कर उनका अपमान करना है।"

मोती लाल नेहरू ने साइमन कमीशन के विषय में कहा कि- "आयोग की नियुक्ति करी बकवास है।" तेज सप्रू के अनुसार- "आयोग में भारतीयों को न लेना भारतीय जनता का घोर अपमान है जो जान-बूझ कर किया गया है।"

अतः पूरे देश में साइमन कमीशन के विरूद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा आदि ने इस कमीशन की रचना को अंग्रेजों की एक भयानक राजनीतिक चाल समझा। अब भारतीयों का अंग्रेजो की न्याय भावना पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। सभी ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। आदित्य मुखर्जी ने लिखा है कि-"सारे भारत में इसकी तत्काल और व्यापक प्रतिक्रिया हुई कि जिस आयोग को भारत का राजनीतिक भविष्य निश्चित करना हो, उसकी सदस्यता के लिए एक भी भारतीय को काबिल नहीं माना गया। यह भारत के लिए अपमानजनक बात थी कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। यह बात नरम दल के विचारों से सहमत लोगों के गले से नीचे नहीं उतरी। इस आयोग के बहिष्कार का आह्नान किया गया जिसका लिबरल फेडरेशन ने समर्थन किया। इसका नेतृत्व तेजबहादुर सप्रू ने किया। इनके साथ ही भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस और हिन्दू महासभा भी इसमें शामिल थीं। मुस्लिम लीग में इस पर मतभेद था। लेकिन मुहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया जिनका लीग में बहुमत था।"

www.ignited.in

सभी दलों ने साइमन कमीशन का विरोध अथवा बहिष्कार करने का फैसला किया। उन्होंने हड़ताल, प्रदर्शन जुलूस आदि साधनों का प्रयोग करने का आह्नान किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितम्बर, 1927 को मद्रास में कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया।

3 फरवरी, 1928 को जैसे ही साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा तो हड़तालों, जुलूसों और काली झण्डियाँ दिखाकर साईमन कमीशन वापिस जाओ के नारों से उसका स्वागत किया। इसके पश्चात् कमीशन मद्रास और कलकत्ता गया। मद्रास में भी इसके विरूद्ध प्रदर्शन किया गया। परिणामस्वरूप पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव हो गया। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और गोलियां चलाई जिसके एक व्यक्ति मारा गया। जिस स्थान पर व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वहां पर जाने से टी.प्रकाश को रोकने की नाकाम कोशिश की गई। उन्होंने अपना सीना बन्दूक के सामने रख दिया। परिणामस्वरूप लोगों में जोश उत्पन्न हो गया। इस प्रकार कमीशन जहाँ भी गया विशाल जन-समूह ने उसका स्वागत हड़तालों और काले झण्डों से किया।

आदित्य मुखर्जी ने लिखा है कि- "जनता की व्रिदोही चेतना को पुलिस की लोहे की मूठ वाली लाठियां रोक नहीं पाई। हर क्षण विरोध करने के लिए नए-नए रास्ते ईजाद किये जाते रहे। उदाहरण-स्वरूप पूना के नौजवानों की कार्यवाही ही लीजिए। लोनावाला से पूना तक रेल मार्ग और सड़क समानांतर चलते हैं तथा इनके बीच दूरी बहुत ही कम है। नौजवान एक ट्रक में सवार हो गये और जिस गाड़ी में साइमन महाशय का आयोग दल यात्रा कर रहा था उसके साथ-साथ ट्रक में काले झण्डे दिखते हुए लोनावाला से पूना गये।"

सरकार ने 1919 के एक्ट की जांच सम्बन्धी कार्य में बाधा डालने वाले प्रदर्शनकारियों का दमन करने का निर्णय लिया। विरोधी प्रदर्शनकारियों को हतोत्साहित करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज और गोलियों का सहारा लिया।

लाहौर में ही साइमन कमीशन का प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया। लाला लाजपतराय के नेतृत्व में एक विशाल जनसमूह ने बाजारों की गलियों में जुलूस निकाला। पुलिस ने उन पर जमकर लाठियाँ बरसाई जिससे लाला लाजपतराय को गम्भीर चोटें आईं उन्होंने घायल अवस्था में कहा कि- "मेरे शरीर पर लगे लाठियों के एक-एक निशन ब्रिटिश सरकार के लिए कफन की कील सिद्ध होगी।"

लखनऊ में पंडित जवाहर लाल नेहरू, गोविन्द बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक विशाल नजसमूह ने साइमन कमीशन का विरोध किया। पुलिस ने इनके साथ भी दुर्व्यव्यवहार किया परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी नेताओं के सीने में ज्वाला भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार को डराने तथा उनके अत्याचारों को रोकने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी साण्डर्स को गोली से उड़ा दिया और दिल्ली की केन्द्रय असैम्बली में बम भी फेंका। इन विरोधों के बावजूद साईमन कमीशन अपना काय्र करता रहा।

साईम कमीशन की रिपोर्टः-

साइमन कमीशन ने विरोध के बावजूद भारत के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का दौरा किया और मई 1930 ई. में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जिसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं-

1. वैध शासन-व्यवस्था में बहुत त्रुटियाँ हैं अतः इस व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिये और उसके स्थान पर पूर्णतया उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देनी चाहिये। प्रान्तों को स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए और केन्द्र का प्रान्तीय सरकारों पर कम से कम नियंत्रण हो। इसके लिए सुरक्षित विभागों को समाप्त कर देना चाहिए जिनसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सचिव प्रान्तीय सरकारों पर नियंत्रण रखते हैं। हर प्रान्त अपने घर का स्वयं स्वामी होना चाहिए।

2. अल्पसंख्यकों एवं सरकारी सैनिकों के हितों की रक्षा करने तथा संविधान के असफल होने की स्थिति में गवर्नर को विशेष अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये।

3. प्रान्त की विधान सभाओं के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 200 से 250 कर दी जाये। इसमें सरकारी अधिकारियों को कोई विशेषाधिकार प्रदान न किये जायें। जनता के राजनीतिक चेतना लाने के लिए मताधिकार का स्तिार (10 से 15 प्रतिशत तक) किया जाना चाहिये।

4. केन्द्रीय सरकार की शासन व्यवस्था के विषय में कोई महत्त्वपूर्ण सिफारिश नहीं की गई। कमीशन ने प्रान्तों के विपरीत केन्द्र के अनुत्तरदायी शासन को ही आवश्यक समझा। इसमें केन्द्रीय कार्यकारिणी को केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के नियन्त्रण से पूरी तरह स्वतन्त्र रखने का सुझाव दिया गया। परन्तु कमीशन ने यह स्पष्ट नहीं किया कि केन्द्र में हमेशा

www.ignited.in

अनुत्तरायी सरकार इसी प्रकार चलेगी या उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जायेगा।

5. कमीशन ने सुझाव दिया कि केन्द्र में भविषय में एक संघीय सरकार की स्थापना की जाये। वह ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बनाने के लिए विशाल भारत की एक परिषद् की स्थापना की जाये जिसमें ब्रिटिश भारत और भारतीय देशी राज्यों के प्रतिनिध सम्मिलित हों।

6. साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रतिनिधित्व का आधार साम्प्रदायिक मतदान होगा। अतः साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को ज्यों की त्यों जारी रखा जाये।

7. केन्द्रीय विधान-मण्डल का पुनर्गठन किया जाये। संघीय विधान सभा में प्रान्तों के प्रतिनिधि सम्मिलित हों जिनका चुनाव प्रान्तीय विधान सभाओं द्वारा किया जाये। इनमें सीटों का बंटवारा प्रान्त की जनसंख्या के आधार पर किया जाये। केन्द्रीय राज्य परिषद् में सभी प्रान्तों के तीन-तीन सदस्य लिये जाएं। परन्तु देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को सभी इसमें शामिल किया जाये जब वे संघ में शामिल होने का निर्णय कर लें।

8. बर्मा को भारत से और सिन्ध को बम्बई से अलग कर दिया जाये अर्थात, बर्मा, बिन्ध एवं बम्बई नये प्रान्त बना दिया जायें।

9. भारतीय सेना का भारतीयकरण का दिया जावे।

10. समय-समय पर संसदीय जांच-पड़ताल पद्धति को समाप्त कर दिया जाये और ऐसे लचीले संविधान का निर्माण किया जाये जो स्वयं विकसित हो।

11. भारत सचिव की कौंसिल को पूरी समाप्त न किया जाये बल्कि उसकी शक्तियों में कुछ कमी कर दी जाये।

कमीशन की रिपोर्ट का मूल्यांकनः-

साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भारतीय राजनीति की सभी समस्याओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया परन्तु यह पूरी तरह से त्रुटिरहित नहीं थी। इसमें भारतीयों की भावनोओं, अभिलाषाओं और आकांक्षाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसमें साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली जैसी अनेक त्रुटियाँ थीं जिसकी पूरे भारत में कड़ी आलोचना की गई इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक शासन को मजबूत बनाने पर बल दिया गया और भारतीयों की स्वतन्त्रता का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया।

एण्ड्रयूज ने लिख है- "उसने उस भारत को अपने सामने रखा जो मैंने राष्ट्रीय अन्दोलन को प्रारंभ होने से 30 वर्ष पूर्व, जब मैं यहाँ से बाहर गया था, देखा था, राष्ट्रीय जागृति के परिणामस्वरूप उदीयवाना युवक भारत का इससे परिचय नहीं मिलता।"

कुछ विद्वानों का मानना है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में निष्पक्षता से जांच नहीं की गई थी। यही कारण था कि इस रिपोर्ट से भारतीयों को घोर निराशा हाथ लगी। भारतीयों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता से बिल्कुल विश्वास उठ गया। रिचर्ड वी. ग्रेग ने भी लिखा है कि- "कमीशन की रिपोर्ट में कई तथ्यों को जानबूझ कर इस प्रकार तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया कि इंग्लैण्ड और अमेरिका के लोग यह समझें कि भारत की समस्याएं अत्यन्त व्यापक और जटिल हैं।" इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए सर शिवस्वामी अरूयर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि- "साइमन कमीषन की इस रिपोर्ट की आलोचना करते हुए सर शिवस्वामी अय्यर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि-"साइमन कमीशन की इस रिपोर्ट को रद्द की टोकरी में डाल देना चाहिये।"

साइमन कमीशन की रिपोट में कुछ खमियां इस प्रकार थी-

1. इसमें भारतीयों की औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

2. इसमें भारतीयों के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया।

3. प्रान्तीय गवर्नरों को ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किये गये जिससे प्रान्तों में उत्तरदायी मन्त्रिण्डल का कोई मूल्य नहीं रह गया था।

4. इसमें साम्प्रदायिकता पर विशेष बल दिया गया जो भविष्य में भारत के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुआ।

निष्कर्षः-

1928 ई. में सात सदस्यों का साइमन कमीशन भारत आया। उसका पूरे भारत में हड़तालों एवं प्रदर्शनों से विरोध किया गया और साइमन कमीशन वापिस जाओ के नारे लगाये। विरोध के बावजूद कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी।

www.ignited.in

सन्दर्भ सूची:

1. आई.बी. रिकाईस, एल नं0 476/193, पृ0 1-12 हरिदास मुखर्जी और उमा मुखर्जी, ए ऑफ़ दि स्वदेशी मूवमेंट, पृ0 236
2. मजूमदार और मजूमदार: कांग्रेस एण्ड कांग्रेसमैन इन दि प्री-गांधीयन हरा: 1885-1917 (फॉर्मके एल मुखोपाध्याय, कलकत्ता, 1967), पृ0 59
3. रिपोर्ट ऑफ़ इंडियन नेशनल कांग्रेस (1905), पृ0 77
4. लाजपतराय: ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स, पृ0 111
5. के. ईश्वर दत्त: कांग्रेस साइक्लोपीडिया, पृ0 211
6. बाल गंगाधर तिलक: स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स (1918), पृ0 37-50
7. एक स्टेप इन दि स्टीमर में अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोती लाल घोष की भूमिका (नेशनल ब्यूरो, बंबई, 1918)
8. वही, पृ0 9
9. मजूमदार और मजूमदार: कांग्रेस एण्ड कांग्रेसमैन इन दि प्री-गांधीयन इरा: 1885-1917, पृ. 72
10. कांग्रेस प्रेसिडेंशियल ऐड्रेसेज, पृ. 978
11. इंड विद्यावाचस्पति: भारतीय स्वाधीनता संग्राम का इतिहास (सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1860), पृ. 112

Corresponding Author

Manjeet Singh*

M.Phil. in History (UGC NET)

manjeetmehra20@gmail.com